प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

31-1-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं उभयपक्ष के बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली को वर्तमान स्तर पर अदम पैरवी/ अदम हाजरी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर